



एएफआर

2026:AHC:17253

सुरक्षित :- 16/19/21/22 जनवरी, 2026

प्रदत्त :- 27 जनवरी, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 19185 वर्ष 2025 तथा अन्य संबद्ध वाद

समीता ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ...प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण : मनीष तिवारी एवं सौरभ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्तागण : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य सम्बद्ध वाद

(माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा प्रदत्त)

1. वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न हैं :-

(a) ऐसी स्थिति में, जहाँ किसी संस्था के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, जैसा भी मामला हो, के तदर्थ रिक्त पद को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संक्षेप में “वर्ष 1921 का अधिनियम”) के अध्याय-II के अंतर्गत वर्णित विनियमों तथा वर्ष 1921 के अधिनियम की धारा 16-ई, 16-एफ एवं 16-एफएफ के अधीन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठतम अर्ह शिक्षक की पदोन्नति द्वारा भरा गया हो, क्या ऐसे तदर्थ प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के वेतन का अधिकार होगा, अथवा यह विषय अब भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (संक्षेप में “वर्ष 1982 का अधिनियम”) की धारा 18 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, अर्थात् क्या ऐसे तदर्थ प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को नियमित प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक का वेतन केवल तभी प्राप्त करने का अधिकार होगा, जब उसमें उपबंधित पूर्व-शर्तें पूर्ण कर ली गई हों।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(b) क्या तदर्थ आधार पर पदोन्नति पर कार्य करते समय प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के पद के वेतन के भुगतान का प्रश्न इस न्यायालय की खंडपीठों द्वारा धनेश्वर सिंह चौहान बनाम डी०आई०ओ०एस०, बदायूँ, 1980 UPLBEC 286; नरबदेश्वर मिश्र बनाम डी०आई०ओ०एस०, देवरिया, 1982 UPLBEC 171 तथा सोलोमन मोरार झा बनाम डी०आई०ओ०एस०, देवरिया, 1985 UPLBEC 113 (संक्षेप में “वर्ष 1980, 1982 एवं 1985 के निर्णय”) में पारित निर्णयों द्वारा पूर्व से ही निर्णीत किया जा चुका है।

(c) क्या उपर्युक्त वर्ष 1980, 1982 एवं 1985 के निर्णयों पर डॉ० जय प्रकाश नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2014) 4 UPLBEC 2642 के पूर्णपीठ निर्णय में विचार किया गया था तथा क्या उक्त पूर्णपीठ निर्णय, यद्यपि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 से संबंधित था, फिर भी वर्ष 1921 के अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा वर्ष 1982 के अधिनियम से उत्पन्न वर्तमान वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को शासित करेगा।

2. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी, जिनकी सहायता श्री आदर्श शुक्ला, श्री तनुज शाही, श्री प्रशांत शुक्ला, श्री अनुराग शुक्ला, श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई, का तर्क है कि उक्त प्रश्न उपर्युक्त वर्ष 1980, 1982 एवं 1985 के तीनों निर्णयों तथा इस न्यायालय के पूर्णपीठ निर्णय डॉ० जय प्रकाश नारायण सिंह (उपरोक्त) द्वारा पूर्व से ही निर्णीत किया जा चुका है, इस सीमा तक कि यदि वर्ष 1982 के अधिनियम की धारा 18 में उपबंधित पूर्व-शर्तों का अनुपालन नहीं भी किया गया हो, तथापि यदि प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के पद पर अस्थायी रिक्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर पदोन्नति की गई है, तो ऐसा नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उक्त पदोन्नति आदेश के अनुसरण में उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के रूप में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त प्रश्न पर पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री कार्तिकेय सारण, जिनकी सहायता श्री जे०एन० मौर्य, विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री आर०पी० दुबे, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह एवं श्री सौरभ, विद्वान स्थायी अधिवक्तागण द्वारा की गई, का तर्क है कि खंडपीठों के निर्णय वर्ष 1980, 1982 एवं 1985 के हैं तथा वर्ष 1982 के अधिनियम की धारा 18 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5/2001 (प्रभावी दिनांक 03.12.2000) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात् उक्त निर्णयों के पश्चात्, अतः यह न्यायालय अब भी वर्ष 1982 के अधिनियम की उक्त धारा 18 के प्रभाव को देख, विचार एवं व्याख्यायित कर सकता है, जिसमें तदर्थ प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, जैसा भी मामला हो, की पदोन्नति हेतु कुछ पूर्व-शर्तें उपबंधित हैं तथा उक्त पद के वेतन के भुगतान पर उनका प्रभाव भी निर्धारित है।

4. विद्वान अपर महाधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि डॉ० जय प्रकाश नारायण सिंह (उपरोक्त) में पूर्णपीठ भिन्न अधिनियमों, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा वर्ष 1980 के अधिनियम, पर विचार कर रही थी, अतः वह वर्तमान वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ तदर्थ पदोन्नति भिन्न विधिक प्रावधानों, अर्थात् वर्ष 1921 के अधिनियम एवं वर्ष 1982 के अधिनियम, द्वारा शासित है।

5. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि डॉ० जय प्रकाश नारायण सिंह (उपरोक्त) में राधा रायजादा, 1994 (2) ESC 342 ALD (FB) के वाद में पारित निर्णय का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संदर्भ दिया गया था तथा उस पर केवल कठिनाइयों को दूर करने संबंधी आदेश के प्रभाव एवं तदर्थ नियुक्ति की शक्ति के संदर्भ में विचार किया गया था, जो कि वर्तमान वाद में विवादित प्रश्न नहीं है। वर्ष 1980, 1982 एवं 1985 के निर्णयों का पूर्णपीठ के निर्णय में केवल उल्लेख किया गया था, किन्तु उन पर विस्तार से विचार नहीं किया गया, सिवाय इसके कि एक समानता के आधार पर यह अनुसरण किया गया कि वर्ष 1921 के अधिनियम के अंतर्गत तदर्थ प्रधानाचार्य को वेतन के भुगतान का प्रश्न विचारित हुआ था और तदनुसार भुगतान का निर्देश दिया गया था।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यदि वर्ष 1982 के अधिनियम की धारा 18 में उपबंधित पूर्व-शर्त अनिवार्य भी मानी जाएँ तथा प्रबन्ध समिति रिक्ति की अधिसूचना देने में विफल रही हो, तब भी उसका प्रतिकूल प्रभाव तदर्थ प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि वर्ष 1982 के अधिनियम की धारा 18(2) यह उपबंधित करती है कि संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे त्रुटिपूर्ण आचरण का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

7. प्रतिस्पर्धी तर्कों पर विचार करने से पूर्व, वर्ष 1921 के अधिनियम तथा उसके अधीन विनियमों एवं वर्ष 1982 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान यहाँ निम्नवत् उल्लिखित किए जाते हैं :-

“उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के विनियम”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2(1) संस्था के प्रधान का पद, उपबंध (2) में यथा उपबंधित के अतिरिक्त, धारा 16-एफ की उपधारा (1) अथवा, यथास्थिति, धारा 16-एफएफ की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को संदर्भित किए जाने के उपरांत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी किसी संस्था के मामले में, जो धारा 16-एफएफ में उल्लिखित संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद पर ऐसी अस्थायी रिक्ति, जो किसी पदधारी को छह माह से अधिक की अवधि के लिए अवकाश प्रदान किए जाने से अथवा किसी शैक्षिक सत्र के दौरान पदधारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति अथवा निलंबन के कारण उत्पन्न हो, संस्था में उच्चतम वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठतम अर्ह शिक्षक, यदि कोई हो, की पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(2) (a) जहाँ किसी संस्था को हाई स्कूल से इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किया जाता है, वहाँ ऐसे कॉलेज के प्रधानाचार्य का पद उस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, यदि वह तत्काल प्रभावी विधि के अनुसार प्रधानाध्यापक के पद पर विधिवत रूप से मौलिक क्षमता में नियुक्त किया गया हो तथा उसकी सेवा अभिलेख उत्तम हो और वह इस संबंध में विहित न्यूनतम अर्हताएँ रखता हो अथवा उसे ऐसी अर्हताओं से बोर्ड द्वारा छूट प्रदान की गई हो।

(b) ऐसी संस्था की प्रबंध समिति संबंधित प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव उसकी सहमति प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी।

(c) उपखंड (ख) में उल्लिखित प्रस्ताव के साथ ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति को अनुमोदित करने संबंधी प्रबंध समिति के प्रस्ताव की प्रति, उसकी सेवा पुस्तिका तथा चरित्र पंजिका संलग्न होगी तथा उसमें उसके संबंध में निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होंगे, अर्थात्—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) जन्म तिथि,

ii) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षाएँ, जिनमें विषय, श्रेणी तथा उन परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने का वर्ष उल्लिखित होगा।

(d) क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना निर्णय उसकी प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर संप्रेषित करेगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

(e) उपखंड (घ) के अधीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक का निर्णय प्रबंध समिति तथा संबंधित प्रधानाध्यापक दोनों को संप्रेषित किया जाएगा।

(f) प्रबंध समिति सहित कोई भी व्यक्ति, जो क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के निर्णय से व्यथित हो, उपखंड (ङ) के अधीन आदेश के संप्रेषण की तिथि से 10 दिनों के भीतर उसके विरुद्ध निदेशक के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका इस विषय में निर्णय अंतिम होगा।

(g) किसी हाई स्कूल का ऐसा प्रधानाध्यापक, जो उच्चकृत इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, अथवा किसी जूनियर हाई स्कूल का ऐसा प्रधानाध्यापक, जिसे उस विद्यालय के हाई स्कूल के रूप में उच्चकृत किए जाने पर उच्चकृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद हेतु चयन समिति द्वारा चयनित नहीं किया जाता है, उसे उस उच्चतम पद पर, जिसके लिए वह अर्ह हो, सहायक अध्यापक के रूप में बनाए रखा जाएगा, परन्तु यह कि उसके वेतनमान में कोई कमी नहीं की जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्टीकरण— इस उपखंड की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो उस तिथि को, जिस दिन संस्था को यथास्थिति हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट कॉलेज के स्तर तक उच्चकृत किया गया था, स्थायी न था अथवा विधि के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं था।

3) जहाँ संस्था के प्रधान के पद में अस्थायी रिक्ति अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए हो, वहाँ उच्चतम वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु उसे उस वेतनमान से उच्च वेतनमान पाने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें वह उस शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त कर रहा है।

(4) इस विनियम के अंतर्गत जिन सभी मामलों में पदोन्नति की जाती है, उनमें प्रबंध समिति के प्रस्ताव की प्रति तथा परिशिष्ट 'बी' में निर्धारित प्रपत्र में भरे गए विवरणों सहित, प्रबंधक द्वारा निरीक्षक तथा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को तुरंत प्रेषित किया जाएगा।”

“उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982”

धारा 18: तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक

(1) जहाँ प्रबंध तंत्र ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार बोर्ड को रिक्ति की सूचना दे दी हो और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का पद वास्तव में दो माह से अधिक अवधि तक रिक्त रहा हो, वहाँ प्रबंध तंत्र उस रिक्ति को पूर्णतः तदर्थ आधार पर वरिष्ठतम शिक्षक की पदोन्नति द्वारा भरेगा।

(a) प्रधानाचार्य के पद की रिक्ति के संबंध में प्रवक्ता संवर्ग में।

(b) प्रधानाध्यापक के पद की रिक्ति के संबंध में प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग में।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) जहाँ प्रबंध तंत्र उपधारा (1) के अधीन वरिष्ठतम शिक्षक को पदोन्नत करने में असफल रहता है, वहाँ निरीक्षक स्वयं ऐसे शिक्षक की पदोन्नति का आदेश जारी करेगा और संबंधित शिक्षक को प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, यथास्थिति, के रूप में वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा, उस तिथि से जब वह ऐसे पद पर उक्त पदोन्नति आदेश के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण करता है।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन पदोन्नति आदेश प्राप्त करने वाला शिक्षक, प्रबंध तंत्र की किसी कार्यवाही या लोप के कारण, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो, वहाँ ऐसा शिक्षक अपना कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है, और तत्पश्चात् उसे उस तिथि से प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, यथास्थिति, के रूप में वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिस तिथि को वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस समय से प्रभावहीन हो जाएगी जब बोर्ड द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी उस पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेगा।”

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1980, 1982 तथा 1985 के निर्णयों पर अत्यधिक भरोसा किया है। उक्त निर्णय संक्षिप्त होने के कारण उन्हें नीचे पूर्ण रूप से उद्धृत किया जा रहा है :-

“धनेश्वर सिंह चौहान बनाम डी.आई.ओ.एस., बदायूँ :- (1980)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता श्री कृष्णा इंटरमीडिएट कॉलेज, बदायूँ, जो एक सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त संस्था है, में एक स्थायी प्रवक्ता है। दिनांक 30-7-72 को याचिकाकर्ता को श्री हरिओम गोयल के निलंबन के कारण उत्पन्न रिक्ति में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक से याचिकाकर्ता की इस कार्यवाहक पदोन्नति को अनुमोदित करने का अनुरोध किया। संस्था के प्रबंधक तथा स्वयं याचिकाकर्ता ने जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष यह निवेदन प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता उक्त पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा है, अतः उसे प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्रदान किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने दिनांक 14-4-77 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता चूंकि उक्त पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा है, इसलिए वह प्रधानाचार्य के वेतनमान का अधिकारी है। याचिकाकर्ता का वेतन 1-11-76 से 816 रुपये प्रति माह की दर से नियत किया गया।

इसके पश्चात याचिकाकर्ता जनवरी, 1978 तक प्रधानाचार्य के वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करता रहा। शिक्षा निदेशालय ने प्रतीत होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सलाह दी कि किसी कार्यवाहक प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने की अनुमति न दी जाए। उक्त निर्देश के अनुसरण में जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने दिनांक 31-8-77 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा उसे पहले से प्राप्त राशि को वापस करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष आकर जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश, जो उसके 31-8-77 के पत्र में निहित है, को चुनौती देते हुए परमादेश (मैंडेमस)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जारी करने की प्रार्थना की, जिससे प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए, जब तक वह प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता रहा, प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

2. याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षक है तथा उसकी वेतन-भुगतान की देयता, उसकी नियुक्ति से पूर्व की अवधि के संबंध में भी, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत राज्य सरकार पर है। सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षक का वेतन, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। अध्याय III के विनियम 46 में यह प्रावधान किया गया है कि सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित किए हैं। राज्य सरकार ने 18 जनवरी 1974 को उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित करने संबंधी आदेश जारी किया। उक्त सरकारी आदेश के पैराग्राफ 5(2) में यह उपबंध किया गया है कि कोई शिक्षक जब उच्चतर वेतनमान वाले पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता है, तो वह उच्चतर वेतनमान में कार्यवाहक वेतन पाने का अधिकारी होगा तथा उसमें कार्यवाहक शिक्षक के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। उक्त सरकारी आदेश की प्रति याचिकाकर्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण इस बात का खंडन नहीं करते हैं कि राज्य सरकार ने उच्चतर वेतनमान में कार्यवाहक रूप से कार्य करने वाले शिक्षक को कार्यवाहक वेतन प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता का प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन का दावा उपरोक्त सरकारी आदेश के अनुसरण में जिला विद्यालय निरीक्षक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा स्वीकृत किया गया था। प्रतिवादीगण किसी पश्चातवर्ती सरकारी आदेश या नियम को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जिसने दिनांक 24-1-74 के सरकारी आदेश में निहित निर्देशों का अधिभावीकरण (supersede) किया हो। प्रतिवादीगण यह भी न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करते हुए प्रधानाचार्य के वेतनमान का अधिकारी नहीं था। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक का दिनांक 31-8-77 का आदेश विधि के अनुसार टिकाऊ नहीं है।

3. परिणामस्वरूप हम याचिका को अनुमन्य करते हैं तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को निरस्त करते हैं और प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह प्रधानाचार्य के रूप में कार्यवाहक रूप से कार्यरत रहा है, जिला विद्यालय निरीक्षक के दिनांक 14-4-79 के पत्र में निहित आदेशों के अनुसार प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन का भुगतान करें। याचिकाकर्ता अपने व्यय (खर्च) का अधिकारी हैं।”

(टिप्पणी - : उपरोक्त निर्णय में लागू अधिनियम के किसी भी प्रासंगिक प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है तथा केवल दिनांक 24-01-1974 के सरकारी आदेश के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।)

नरदेश्वर मिश्र बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (1982)

“1. याचिकाकर्ता शिवाजी इंटर कॉलेज, खुर्खुंदू, देवरिया में गणित विषय के एक स्थायी प्रवक्ता थे।

2. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्याय II के क्लॉज 2 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त कॉलेज के स्थायी प्रधानाचार्य श्री बंशीधर दीक्षित के सेवानिवृत्त होने पर, प्रबंध समिति ने दिनांक 9 अक्टूबर,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1977 का एक प्रस्ताव पारित कर याचिकाकर्ता को कॉलेज का कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता तब से कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। जब, तथापि, कॉलेज के प्रबंधक ने याचिकाकर्ता के प्रधानाचार्य के रूप में वेतन के बिल जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रेषित किए, तो उन्होंने इस आधार पर उन बिलों को मंजूरी देने से इंकार कर दिया कि केवल कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक से भेंट की और उनके समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की कि उपरोक्त विनियमों के अध्याय II के विनियम 2 के परंतुक तथा अध्याय III के विनियम 46 के अनुसार वह प्रधानाचार्य के वेतन के अधिकारी हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक से कोई राहत न मिलने पर याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय का रुख किया।

3. याचिकाकर्ता का यह कथन है कि अध्याय II के विनियम 2 के परंतुक उसके मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है और परिणामस्वरूप अध्याय III के विनियम 46 के अधीन वह प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी विभिन्न कठिनाइयों के निवारण आदेशों के अंतर्गत याचिकाकर्ता को अधिकतम छह माह की अवधि के लिए कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। अतः वह उस अवधि के पश्चात किसी भी वेतन का अधिकारी नहीं है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात हम स्पष्ट रूप से इस मत पर हैं कि याचिकाकर्ता का तर्क विधिसम्मत है। उपरोक्त विनियमों के अध्याय II के विनियम 2 निम्नलिखित प्रकार से है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"2. (1) संस्था के प्रधान का पद, उपखंड (2) में यथाउपबंधित के अतिरिक्त, धारा 16-एफ की उपधारा (1) अथवा, यथास्थिति, धारा 16-एफएफ की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को संदर्भित किए जाने के पश्चात प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

परन्तु यह कि किसी ऐसी संस्था के मामले में, जो धारा 16-एफएफ में उल्लिखित संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद पर ऐसी अस्थायी रिक्ति, जो किसी पदधारी को छह माह से अधिक न होने वाली अवधि के लिए अवकाश प्रदान किए जाने से अथवा किसी शैक्षिक सत्र के दौरान पदधारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या निलंबन के कारण उत्पन्न हुई हो, उसे संस्था में उच्चतम वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठतम अर्ह शिक्षक, यदि कोई हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

5. अगला प्रासंगिक उपबंध अध्याय II के विनियम संख्या 2 के क्लॉज (3) में है, जो इस प्रकार है:-

" जहाँ संस्था के प्रधान के पद में अस्थायी रिक्ति तीस दिनों से अधिक अवधि की नहीं है, वहाँ उच्चतम वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु वह उस वेतनमान से उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा जिसमें वह उक्त शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त कर रहा है।

6. विनियम संख्या 2(1) के परंतुक का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता का मामला पूर्णतः इसके अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति बंशीधर दीक्षित के सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्ति में कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यवाहक रूप से कार्य करने हेतु की गई थी। याचिकाकर्ता वरिष्ठतम शिक्षक थे। अतः उन्हें विधिसम्मत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से उस परंतुक के अंतर्गत परिकल्पित कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

7. धनेश्वर सिंह चौहान बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ 1980 UPLBEC 286 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्यरत शिक्षक, 18-1-1974 के सरकारी आदेश के अनुसार, प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। यह निर्णय याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करता है।

8. उपरोक्त उद्धृत विनियम संख्या 2 के क्लॉज (3) से भी यही निष्कर्ष निकलता है। यह उपबंध कि जहाँ संस्था के प्रधान के पद में अस्थायी रिक्ति तीस दिनों से अधिक अवधि की हो, वहाँ वरिष्ठतम शिक्षक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु उसे उस वेतनमान से उच्चतर वेतनमान का अधिकारी नहीं होगा जिसमें वह शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त कर रहा है, स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि जहाँ प्रधानाचार्य के पद की रिक्ति 180 दिनों से अधिक अवधि तक बनी रहती है, वहाँ उपरोक्त परंतुक के अधीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए देय वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

9. उपर्युक्त वैधानिक उपबंध, अतः, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि याचिकाकर्ता, कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी था। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 इस आधार पर याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य का वेतन देने से इंकार करने में विधिसम्मत रूप से उचित नहीं था कि याचिकाकर्ता मात्र कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. विद्वान् स्थायी अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि विभिन्न कठिनाइयों के निवारण आदेशों के अंतर्गत कार्यवाहक नियुक्ति केवल छह माह की अवधि तक ही रह सकती है, इतना कहना पर्याप्त है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन के भुगतान से इंकार का आधार यह नहीं था। इसके विपरीत, रिट याचिका के अनुलग्नक-4, जो कि शिक्षा उपनिदेशक के दिनांक 3 जुलाई 1981 के पत्र की प्रति है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक को संबोधित है (तथा जिसकी प्रति याचिकाकर्ता को भी प्रेषित की गई है), से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अभी भी कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में माना जा रहा था। शिक्षा उपनिदेशक ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को वेतन भुगतान से संबंधित लागू प्रासंगिक वैधानिक उपबंधों की ओर संकेत किया और यह मत व्यक्त किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक को उन उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए। अतः हमें विद्वान् स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई इस दलील में कोई सार नहीं प्रतीत होता।

11. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है तथा अनुमन्य की जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के रूप में देय वेतन का भुगतान करे, जब तक याचिकाकर्ता उपरोक्त कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता रहता है। तथापि, हम व्यय (खर्च) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।”

(टिप्पणी :- उपरोक्त निर्णय में प्रासंगिक उपबंध अर्थात् अध्याय II के विनियमों के विनियम 2(1) के परंतुक तथा 2(3) पर विचार किया गया था, तथापि “संस्था में उच्चतम वेतनमान में” शब्दों पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया था तथा इसके अतिरिक्त दिनांक 24-01-1973 के सरकारी आदेश का भी अनुसरण किया गया था।)

सोलोमन मोरार झा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (1985)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने यह राहत मांगी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (जिसे आगे डी.आई.ओ.एस. कहा गया है) के दिनांक 30 अप्रैल, 1983 के आदेश को निरस्त करते हुए रिट ऑफ सर्टिओरारी जारी की जाए तथा डी.आई.ओ.एस. को यह निर्देश देते हुए रिट ऑफ मंडेमस जारी की जाए कि वह याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन का भुगतान करे तथा उसे समस्त बकाया वेतन भी प्रदान करे।”

याचिकाकर्ता बी.जी.एम. कॉलेज, भालपुर, जिला देवरिया, जो एक सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त संस्था है, में वरिष्ठतम प्रवक्ता है। कॉलेज के स्थायी प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने पर प्रबंध समिति ने दिनांक 26-6-1981 के प्रस्ताव द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 1 जुलाई, 1981 को प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया और तब से वह डी.आई.ओ.एस. की स्वीकृति के साथ संस्था के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। प्रबंध समिति ने प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन भुगतान के लिए डी.आई.ओ.एस. को संदर्भित किया, किन्तु निरीक्षक ने अपने दिनांक 30 अप्रैल, 1983 के पत्र द्वारा इस आधार पर याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन देने से इंकार कर दिया कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में ऐसे व्यक्ति को, जो प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा हो, वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि संस्था में प्रधानाचार्य के पद पर स्थायी रिक्ति उत्पन्न हुई थी। आगे यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता, वरिष्ठतम शिक्षक होने के कारण, प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता 1-7-1981 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उस हैसियत से वह प्रधानाचार्य के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। चूंकि याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, इसलिए वह उस अवधि के लिए, जब तक वह प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता रहेगा, प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। धनेश्वर सिंह चौहान बनाम डी.आई.ओ.एस., बदायूँ 1980 UPLBEC 286 तथा नरदेश्वर मिश्र बनाम डी.आई.ओ.एस., देवरिया, 1982 UPLBEC 171 में इस न्यायालय की दो खंडपीठों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्यरत प्रवक्ता प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। जिला विद्यालय निरीक्षक उस व्यक्ति को, जिस अवधि में वह प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता है, वेतन भुगतान करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। इस संबंध में विधि पूर्णतः सुस्थापित है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान अनुचित रूप से करने से इंकार किया है।

प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्याय II के विनियम 2(1) अल्पसंख्यक संस्था पर लागू नहीं होते हैं। निस्संदेह, जिस संस्था में याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है वह एक अल्पसंख्यक संस्था है, किन्तु इससे विधिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विनियमों के अध्याय II के विनियम 2(1) का परंतुक उस अवधि के लिए, जब कोई प्रवक्ता प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता है, उसे प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्रदान करने पर रोक नहीं लगाता है। डी.आई.ओ.एस. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप, हम याचिका को अनुमन्य करते हैं तथा डी.आई.ओ.एस., देवरिया के दिनांक 30 अप्रैल, 1983 के आदेश को निरस्त करते हैं और निरीक्षक को निर्देश देते हैं कि वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह संस्था में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहा है, प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन के बकाया का भुगतान करे तथा साथ ही उस अवधि के लिए भी याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान करे, जिसके दौरान वह आगे भी कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता रहेगा।”

(टिप्पणी :- उपरोक्त निर्णय अल्पसंख्यक संस्था के संबंध में था तथा यह माना गया था कि 1980 एवं 1982 के निर्णय उक्त संस्था पर भी लागू होते हैं और उपर्युक्त निर्णय भी उक्त संस्था पर लागू होता है।)

9. डॉ. जय प्रकाश नारायण सिंह (उपरोक्त) की पूर्ण पीठ (Full Bench) के निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नलिखित उद्धृत किए जा रहे हैं :-

“मुद्दे

1. क्या दलजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007 (7) AWC 7687) तथा ओम शरण त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010 (1) AWC 374) के मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुपात (ratio) के बीच कोई विरोधाभास है और यदि हाँ, तो इनमें से कौन-सा दृष्टिकोण विधि को सही रूप से प्रतिपादित करता है; तथा क्या पूर्वाचल विश्वविद्यालय के अध्यादेश 10.20 के अंतर्गत नियुक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियमित प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं।

मूलतः प्रश्न यह है कि क्या किसी शिक्षक को, जो किसी महाविद्यालय में, जो राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है, प्रधानाचार्य के स्थायी पद के रिक्त होने पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वह नियमित प्रधानाचार्य के वेतनमान एवं ग्रेड का अधिकारी है या नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. निम्नलिखित निर्णयों में इस न्यायालय की खंडपीठों ने यह निर्देश दिया है कि किसी डिग्री कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतनमान का भुगतान किया जाए:-

(1) दुर्गा प्रसाद द्विवेदी बनाम उच्च शिक्षा निदेशक (सी.एम.डब्ल्यूपी संख्या 8738, 1988, दिनांक 11 जुलाई, 1994)। इस निर्णय का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित मामलों में इसका अनुसरण किया गया है:-

(i) रघुनाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सी.एम.डब्ल्यूपी संख्या 39699 सन् 1993, दिनांक 13 नवम्बर, 1997);

(ii) आनन्द प्रकाश त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सी.एम.डब्ल्यूपी संख्या 46257 सन् 1999, दिनांक 2 नवम्बर, 1999); तथा

(iii) मदन गोपाल मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सी.एम.डब्ल्यूपी संख्या 42012 सन् 2004, दिनांक 7 अक्टूबर, 2004);

(2) परस नाथ पाण्डेय बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक ((1995) AWC 603 : 1995 All LJ 1136);

(3) डॉ. गोविन्द नाम निरंजन बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन एट ओरई, 1996 AWC 1757 : (1997 All LJ 172); तथा

(4) ओम शरण त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2009 (4) ESC 3023।

3. तथापि, दलजीत सिंह (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अंतर्गत वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि केवल प्रधानाचार्य



के कर्तव्यों के निर्वहन की अनुमति दी जाती है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय खंडपीठ ने इस न्यायालय की खंडपीठों के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

- (1) शिव शंकर त्रिपाठी बनाम निदेशक शिक्षा (संस्कृत), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, 2007
- (4) AWC 3636 : (2007 (4) All LJ (NOC) 687); तथा
- (2) विजय रानी बनाम क्षेत्रीय निरीक्षक बालिका विद्यालय, क्षेत्र-1, मेरठ, 2007 (2) ESC 987 : (2007 (2) All LJ 694)।

4. अभिलेख की पूर्णता के लिए हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस न्यायालय की खंडपीठों ने निम्नलिखित निर्णयों में माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य द्वारा आहरित वेतन के भुगतान का निर्देश दिया है:-

- (1) धनेश्वर सिंह चौहान बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ (1980 UPLBEC 286),
- (2) नरदेश्वर मिश्र बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (1982 UPLBEC 171); तथा
- (3) सोलोमन मोरार झा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया (1985 UPLBEC 113)।

निर्णयों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। इस मतभेद के समाधान हेतु ही इस पूर्ण पीठ को आहूत किया गया है।

XXX

XXX

XXX

XXX

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XXX

29. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के उपबंधों के अंतर्गत एक कुछ समान स्थिति उत्पन्न हुई थी। यह अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। 'शिक्षक' शब्द की परिभाषा में प्रधानाचार्य को भी सम्मिलित किया गया था। धारा 16 में यह उपबंध किया गया था कि धारा 18 तथा 33 और कुछ अन्य धाराओं के उपबंधों के अधीन, अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति केवल आयोग की संस्तुति पर ही प्रबंध तंत्र द्वारा की जाएगी तथा इन उपबंधों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति शून्य होगी। धारा 18 में शिक्षकों की तदर्थ (ad hoc) नियुक्तियों का उपबंध किया गया था। चूँकि धारा 16 के उपबंधों को धारा 18 के अधीन रखा गया था, इसलिए धारा 18 के अंतर्गत तदर्थ नियुक्तियाँ विधिसम्मत रूप से की जा सकती थीं।

तथापि, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1993 के अधिनियमन के पश्चात् धारा 16 को प्रतिस्थापित किया गया तथा मूल अधिनियम की धारा 18 को हटाए जाने का प्रयास किया गया। धारा 33 द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह कठिनाइयों को दूर करने हेतु आदेश जारी एवं अधिसूचित कर सके, जिसमें आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अधिनियम के उपबंध, यथास्थिति, संशोधन, परिवर्धन या विलोपन द्वारा अनुकूलन के अधीन प्रभावी होंगे। धारा 33(1) के अंतर्गत दो अधिसूचित आदेश जारी किए गए। इन दोनों आदेशों में से किसी में भी यह निर्धारित नहीं किया गया कि उक्त आदेश कितनी अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

30. ये उपबंध इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के समक्ष राधा राइजादा बनाम प्रबंध समिति, विद्यावती दारबारी गर्ल्स इंटर कॉलेज, (1994) 3 UPLBEC 1551 : (1994 All LJ 1077) में विचारार्थ आए थे। उक्त स्थिति का परीक्षण करते हुए पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:-

“...उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1993 के प्रवर्तन के पश्चात, धारा 13 को छोड़कर, जो स्थिति उत्पन्न होती है वह यह है कि संशोधन अधिनियम की नई धारा 11 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 16 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो प्रवृत्त हो चुकी है, जबकि इस संशोधन अधिनियम की धारा 13 द्वारा मूल अधिनियम से धारा 18 का विलोपन अभी प्रवृत्त नहीं किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि धारा 18 अभी भी मूल अधिनियम में विद्यमान है। इस विधायी विकास के परिणामस्वरूप एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई है कि नई धारा 16, जो अब प्रवृत्त हो चुकी है, अब अधिनियम की धारा 18 के अधीन नहीं रह गई है, जिसका अर्थ यह है कि धारा 18 के अंतर्गत कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं की जा सकती। नई धारा 16 की शुरुआत एक नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज (अधिभावी उपबंध) से होती है, जिसका अर्थ है कि अन्य किसी भी उपबंध के होते हुए भी कोई नियुक्ति बोर्ड की संस्तुति के अतिरिक्त नहीं की जाएगी। जब किसी धारा की शुरुआत नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज से होती है, तो यह संकेत देता है कि उस उपबंध को अधिनियम के अन्य किसी भी विरोधी प्रावधान पर वरीयता प्राप्त होगी। अतः धारा 16 से धारा 18 के विलोपन के पश्चात धारा 18 के अंतर्गत कोई तदर्थ नियुक्ति अनुमन्य नहीं है, और यदि ऐसी कोई नियुक्ति की जाती है तो वह अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन शून्य (void) होगी। यह मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी प्रथम कठिनाइयों के निवारण आदेश, 1981 को या तो निरस्त किया गया हो या वापस लिया गया हो। इसके विपरीत यह कहा गया कि उक्त कठिनाइयों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निवारण आदेश अभी भी प्रवृत्त है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत किसी शिक्षक या प्रधानाचार्य की तदर्थ नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो क्या प्रथम कठिनाइयों के निवारण आदेश के अंतर्गत किसी शिक्षक या प्रधानाचार्य की तदर्थ नियुक्ति करना विधिसम्मत है? धारा 16 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 16 अभी भी अधिनियम की धारा 33 के अधीन है, जो राज्य सरकार को कठिनाइयों के निवारण आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। चूँकि धारा 33 के अंतर्गत कठिनाइयों के निवारण आदेश जारी किए गए हैं, इसलिए ऐसे आदेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति द्वारा की गई तदर्थ नियुक्ति विधिमान्य नियुक्ति होगी।

31. अतः पूर्ण पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1993 के पश्चात, यद्यपि धारा 16 में धारा 18 का संदर्भ समाप्त कर दिया गया था, फिर भी चूँकि धारा 16 अभी भी धारा 33 के अधीन थी, इसलिए धारा 33 के अंतर्गत जारी प्रथम तथा द्वितीय कठिनाइयों के निवारण आदेशों के तहत तदर्थ नियुक्तियाँ की जा सकती थीं।

XXX

33. अतः, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, राज्य सरकार कठिनाइयों के निवारण आदेशों के संचालन की अवधि निर्धारित कर सकती थी, किंतु इन आदेशों में उनके प्रभावी रहने की अवधि को सीमित करने वाला कोई उपबंध नहीं किया गया था। इसलिए इन कठिनाइयों के निवारण आदेशों को अस्थायी न मानकर स्थायी माना गया तथा इस संबंध में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के राधा राइजादा (1994 All LJ 1077) (उपरोक्त) निर्णय पर भरोसा किया गया।

XXX

XXX

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XXX

XXX

XXX

45. हम पुनः यह उल्लेख करते हैं कि अनेक निर्णयों में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि वह व्यक्ति, जो माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर चुका है, प्रधानाचार्य के वेतनमान का अधिकारी होगा। ये निर्णय निम्नलिखित मामलों में दिए गए थे:-

- (i) धनेश्वर सिंह चौहान बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक (उपरोक्त);
- (ii) नरदेश्वर मिश्र बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक (उपरोक्त); तथा
- (iii) सोलोमन मोरार झा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक (उपरोक्त)।

XXX

XXX

XXX

XXX

57. अतः हम इस संदर्भ (रेफरेंस) का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों/रूप में करते हैं:-

- (i) (i) दलजीत सिंह (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय विधि की सही स्थिति को प्रतिपादित नहीं करता है; तथा
- (ii) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अंतर्गत नियुक्त कोई कार्यवाहक प्रधानाचार्य, जो प्रथम अध्यादेश के अध्यादेश 10-बी के उपबंधों के समान (pari materia) हैं, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान उसने कार्य किया है, नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति होने तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने तक, प्रधानाचार्य के नियमित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

10. न्यायालय इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे, 2025 (5) ADJ 561 (DB) में पारित निर्णय का भी संज्ञान लेता है तथा उसके प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नलिखित उद्धृत किए जा रहे हैं :-

“16. जिन सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का कार्य संपादित करने की अनुमति दी जाती है, वे सहायक अध्यापक के पद के अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षी दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे शिक्षक, जब उन्हें अतिरिक्त कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो वे वेतन के भुगतान के अधिकारी होंगे। यद्यपि कुछ भिन्न तथ्यों की स्थिति में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने डॉ. जय प्रकाश नारायण सिंह (उपरोक्त) में निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया है:-

" यदि यह माना जाए कि प्रबंध तंत्र में ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं है कि जब प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति उत्पन्न हो और आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति होने तक वह कार्यवाहक नियुक्ति कर सके, तो इससे शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें संबद्ध महाविद्यालय भी शामिल हैं, के कार्यकरण में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शैक्षिक संस्थानों के समुचित संचालन में लोकहित का एक महत्वपूर्ण तत्व निहित है, और यदि शिक्षा के हितों को प्रभावित होने से बचाना है, तो प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति की अवधि के दौरान कोई व्यवस्था की जानी आवश्यक है। कार्यवाहक नियुक्ति करने की शक्ति राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों के उपबंधों से व्युत्पन्न है, जो प्रथम अध्यादेश के अध्यादेश 10-बी के समान हैं। एक बार जब इस शक्ति की प्रकृति को इस प्रकार माना जाता है कि यह एक नियुक्ति करने की शक्ति है, यद्यपि अस्थायी रूप से, जब तक कि नियमित रूप अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति, जिसे कार्यवाहक आधार पर नियुक्त किया गया है, को वेतन भुगतान के दावे से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अंतर्गत कार्यवाहक नियुक्ति करने की शक्ति, आयोग अधिनियम से धारा 16 के 22 नवंबर 1991 से प्रभावी रूप से विलोपन के पश्चात भी, सुरक्षित बनी रहती है। अध्यादेशों में ऐसा उपबंध आयोग अधिनियम के विपरीत या असंगत नहीं माना जाएगा, जिससे धारा 30 में निहित अधिभावी उपबंध आकर्षित हों। जहाँ किसी व्यक्ति को नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वहाँ वह शिक्षक के पद से अधिक महत्वपूर्ण प्रकृति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनेक उपबंध, जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है, उन कर्तव्यों और दायित्वों की ओर संकेत करते हैं जिन्हें प्रधानाचार्य द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित है। अतः ऐसा व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अंतर्गत नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी की उपलब्धता तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वह प्रधानाचार्य के पद से संबद्ध वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

17. अतः हम इस मत पर हैं कि उन सहायक अध्यापकों को, जो पिछले कई वर्षों से उच्चतर पद अर्थात् प्रधानाध्यापक के पद का कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक के वेतन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

18. अंत में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2014 से प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिए जाने का निर्देश अन्यथा भी अनुमन्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्व में कभी भी उच्चतर पद के वेतन के भुगतान से संबंधित कोई शिकायत नहीं की गई थी और रिट याचिकाएँ केवल वर्ष 2022 से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2024 के बीच दाखिल की गई हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह, (2008) 8 SCC 648 पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक ही बकाया वेतन (arrears) का निर्देश दिया जा सकता है। तरसेम सिंह (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय के पश्चातवर्ती निर्णय बिचित्रानंद बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य, 2023 SCC OnLine SC 1307 में भी किया गया है। इसी प्रकार लखनऊ खंडपीठ ने उर्मिला देवी पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2023(6) ADJ (DB)(LB) में भी समान दृष्टिकोण अपनाया है।

19. हम श्री के. शाही की इस दलील में बल पाते हैं कि बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश यांत्रिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूर्व में कोई शिकायत नहीं उठाई गई हो। यद्यपि यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्व में अभ्यावेदन दिए गए थे, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिकायतें रिट याचिका दाखिल किए जाने तक प्रभावी रूप से नहीं उठाई गई थीं। अतः हम इस मत पर हैं कि भले ही याचिकाकर्ता लंबे समय से प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहे हों, बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश रिट याचिका दायर किए जाने से पूर्व अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक ही सीमित रह सकता है।

20. उपरोक्त विचार-विमर्श एवं विवेचना के दृष्टिगत यह विशेष अपीलों का समूह निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निस्तारित किया जाता है:

(i) हम संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि वे इस तथ्यात्मक प्रश्न का परीक्षण एवं निर्धारण करें कि क्या याचिकाकर्ता को पाँच वर्ष का अनुभव है तथा क्या वह वास्तव में संस्था में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहा है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) यदि याचिकाकर्ता लंबे समय से प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहे हैं, तो बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश रिट याचिका दाखिल किए जाने से पूर्व अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक ही सीमित रहेगा;

(iii) हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिला स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता होगी कि जहाँ तक संभव हो, केवल वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही शैक्षणिक संस्था में कार्यवाहक रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाए। इससे कनिष्ठ सहायक अध्यापकों के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली असंतोष की स्थिति से बचा जा सकेगा;

(iv) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही दो माह की अवधि के भीतर की जाएगी तथा उपरोक्त निर्धारण के अनुसार राशि की गणना कर उसे बिना किसी विलंब के जारी किया जाएगा।

11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष 1980, 1982 तथा 1985 के निर्णय मुख्यतः दिनांक 18.01.1974 के सरकारी आदेश के आधार पर दिए गए थे, जिसमें यह उपबंधित है कि प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक रूप से कार्यरत शिक्षक प्रधानाचार्य के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। साथ ही वर्ष 1982 के निर्णय में अध्याय II के विनियमों के क्लॉज 2(1) एवं 2(3) के परंतुक पर भी विचार किया गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि संस्था के प्रधान के पद पर अस्थायी रिक्ति 180 दिनों से अधिक अवधि तक बनी रहती है, तो वरिष्ठतम अर्ह शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है और वह प्रधानाचार्य के वेतन का अधिकारी होगा, यद्यपि उसमें प्रयुक्त “संस्था में उच्चतम वेतनमान में” शब्दों की विशेष रूप से व्याख्या नहीं की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. न्यायालय यह भी संज्ञान में लेता है कि उपरोक्त सभी निर्णय इस न्यायालय की खंडपीठों द्वारा पारित किए गए हैं, अतः वर्तमान पीठ एकल पीठ होने के नाते उन निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ किसी विधिक प्रावधान पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया हो। न्यायालय यह भी नोट करता है कि एक समय पर वर्तमान रोस्टर इस न्यायालय की खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में था तथा अब वही रोस्टर एकल पीठ के संज्ञान में है।

13. नरदेश्वर मिश्र (उपरोक्त) (1982) में खंडपीठ ने यह व्याख्या नहीं की है कि अध्याय II के क्लॉज 2(1) के परंतुक की क्या व्याख्या होगी। जहाँ तक अध्याय II के क्लॉज (3) का प्रश्न है, उसमें स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि यदि अस्थायी रिक्ति तीस दिनों से अधिक अवधि की नहीं है, तो संस्था में उच्चतम वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, किंतु वह उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। अतः ऐसे मामलों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, जैसा भी मामला हो, उच्चतर वेतनमान के वेतन का अधिकारी नहीं होता है।

14. जहाँ तक क्लॉज (2) के परंतुक का प्रश्न है, उसमें यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि यदि संस्था के प्रधान के पद पर अस्थायी रिक्ति विद्यमान है, किंतु वह 180 दिनों से अधिक की नहीं है, तो उक्त पद को “संस्था में उच्चतम वेतनमान में” वरिष्ठतम अर्ह शिक्षक की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। “संस्था में उच्चतम वेतनमान में” प्रयुक्त शब्दों का यह अर्थ नहीं है कि वह प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का वेतनमान होगा, जैसा भी मामला हो। यह शब्दावली विनियमों में सतत रूप से प्रयुक्त है और इसका अर्थ संस्था में शिक्षक के पदों के संदर्भ में उच्चतम वेतनमान से है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. इस चरण पर न्यायालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम 11(2)(b) तथा उसके स्पष्टीकरण का भी संज्ञान लेता है, जिसके अनुसार 'वरिष्ठतम शिक्षक' का अर्थ संस्था में 'उच्चतम वेतनमान के पद' पर कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक है। अतः विनियमों के अध्याय II के क्लॉज 2(1) के परंतुक में प्रयुक्त समान शब्दों की व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी होगी, न कि यह माना जाएगा कि 'उच्चतम वेतनमान' का अर्थ प्रधानाचार्य के पद का वेतनमान है। संदर्भ हेतु उक्त नियम निम्नलिखित है:-

“11. रिक्तियों का निर्धारण एवं अधिसूचना :-”

(1) xxxxx

(2) xxxx

(a) xxxxx

(b) प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में, प्रबंध तंत्र दो वरिष्ठतम शिक्षकों के नाम भी उनकी सेवा अभिलेखों (जिसमें चरित्र पंजिका सम्मिलित है) की प्रतियाँ तथा ऐसे अन्य अभिलेखों या विवरणों के साथ, जो बोर्ड समय-समय पर अपेक्षित करे, बोर्ड को प्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण — इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु 'वरिष्ठतम शिक्षक' से तात्पर्य संस्था में 'उच्चतम वेतनमान के पद' पर कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षकों से है, चाहे उन्होंने संस्था में कुल कितना भी सेवा काल पूरा किया हो।

16. विनियमों के क्लॉज (3) में उस स्थिति की परिकल्पना की गई है जब वरिष्ठतम शिक्षक संस्था के उच्चतम वेतनमान में न हो और यह केवल एक अस्थायी/अंतरिम व्यवस्था (stop gap arrangement) के रूप में हो। इसलिए उसमें “अर्ह” (qualified) शब्द भी प्रयुक्त नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। अतः ऐसी स्थिति में अस्थायी रिक्ति पर पदोन्नति के आधार पर प्रधानाचार्य के वेतन के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय का मत है कि उपरोक्त संदर्भित किसी भी निर्णय में अधिनियम, 1982 की धारा 18, जिसे वर्ष 2000 में सम्मिलित किया गया था, की व्याख्या या विचार नहीं किया गया है, क्योंकि वह बाद में अधिनियमित की गई थी।

17. डॉ. जय प्रकाश नारायण सिंह (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ ने केवल 1980, 1982 एवं 1985 के निर्णयों तथा राधा राइजादा (उपरोक्त) का संदर्भ दिया है, किंतु उसने अधिनियम, 1982 की धारा 18 के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, क्योंकि वह प्रश्न पूर्ण पीठ के समक्ष विचारार्थ विषय नहीं था।

18. पूर्ण पीठ केवल राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों पर विचार कर रही थी, जबकि वर्तमान में विचाराधीन मामलों का समूह उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार, इस न्यायालय की अन्य खंडपीठ द्वारा त्रिपुरारी दुबे (उपरोक्त) में विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों पर विचार किया गया है।

19. उपर्युक्त परिस्थितियों में, अब इन सभी रिट याचिकाओं का परिणाम अधिनियम, 1982 की धारा 18 की व्याख्या पर निर्भर करेगा, जिसे पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही उद्धृत किया जा चुका है।

20. उपरोक्त धारा के निम्नलिखित भाग हैं :-

(a) यह धारा एक अनिवार्य पूर्व शर्त (mandatory pre-condition) निर्धारित करती है कि प्रबंध तंत्र द्वारा प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के रिक्त पद को तदर्थ/अस्थायी आधार पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वरिष्ठतम अर्ह शिक्षक की पदोन्नति द्वारा तभी भरा जा सकता है जब प्रबंध तंत्र धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार उक्त रिक्ति को बोर्ड को अधिसूचित करे।

b. प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का पद वास्तव में दो माह से अधिक अवधि तक रिक्त बना रहता है।

c. ऐसी पूर्व शर्तों का पालन किए जाने और तदर्थ/अस्थायी आधार पर ऐसी प्रोन्नति (प्रमोशन) किए जाने के पश्चात ही, ऐसा प्रोन्नत व्यक्ति उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा; अतः, यदि उक्त पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है और किसी संस्था के प्रमुख के रिक्त पद को तदर्थ प्रोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ऐसा प्रोन्नत व्यक्ति प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद के वेतन का हकदार नहीं होगा।

d. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा 1982 के अधिनियम की धारा 18 (2) का दिया गया संदर्भ वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि यह केवल उस स्थिति के संबंध में है जब प्रबंधन पूर्व शर्तों का अनुपालन होने के बाद भी उक्त संस्था के वरिष्ठतम शिक्षक को प्रोन्नत करने में विफल रहता है। यह संबंधित डी.आई.ओ.एस. (D.I.O.S.) पर प्रबंधन को बोर्ड को रिक्ति अधिसूचित करने के लिए मजबूर करने का कोई कर्तव्य आरोपित नहीं करता है। इन पूर्व शर्तों के पीछे एक उद्देश्य यह है कि कॉलेज की प्रबंधन समिति तदर्थ प्रधानाचार्य को जारी रखने की अनुमति न दे सके, ताकि बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी बाहरी व्यक्ति को प्रधानाचार्य के रूप में आने से रोका न जा सके।

21. उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायालय का यह मत है कि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर **नर्मदेश्वर मिश्र (उपरोक्त)** में नहीं दिया गया था और उक्त संशोधन से पूर्व का होने के कारण, इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय को 1982 के अधिनियम की धारा 18(2) के संदर्भ में इस मुद्दे की व्याख्या करने और उपरोक्त निर्देशों के परिणाम की व्याख्या करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो कि निम्नानुसार है।

22. पूर्ण पीठ (Full Bench) द्वारा पारित निर्णय में 1982 के अधिनियम के प्रभाव पर भी विचार नहीं किया गया है और वह उन प्रावधानों पर विचार कर रहा था जो वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में स्वीकार्य रूप से लागू नहीं होते हैं।

23. उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायालय का यह मत है कि 1982 के अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित पूर्व शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ही, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर ऐसा तदर्थ प्रोन्नत व्यक्ति उक्त पद के वेतन का हकदार होगा।

24. तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती हैं कि संबंधित डी.आई.ओ.एस. (D.I.O.S.) प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच करेंगे कि यदि धारा 18 की पूर्व शर्तें, जैसे कि प्रबंधन ने रिक्ति को अधिसूचित किया था और वह दो महीने तक रिक्त रही थी और तदर्थ प्रोन्नति की गई थी, पूरी होती हैं, तो केवल ऐसा तदर्थ प्रोन्नत व्यक्ति ही प्रधानाचार्य के पद के वेतन का हकदार होगा।

25. यदि रिक्ति अधिसूचित नहीं की गई थी, तो ऐसा तदर्थ प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद के वेतन के भुगतान का हकदार नहीं होगा और यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामले में कॉलेज वर्तमान निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर रिक्ति को अधिसूचित करेगा। ऐसी स्थिति में, भले ही ऊपर संदर्भित शर्तों का अनुपालन नहीं किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था और ऐसे तदर्थ प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद का वेतन भुगतान किया गया है, तो इसे वर्तमान निर्णय की तिथि से रोक दिया जाएगा।

26. अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 और उसके अंतर्गत नियमावली, अर्थात् उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली, 2023 अधिनियमित और लागू हो गई है तथा 1982 का अधिनियम अब निरस्त (repealed) हो गया है। 2023 के अधिनियम में तदर्थ (Ad-hoc) प्रधानाचार्यों या प्रधानाध्यापकों का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है कि 1921 के अधिनियम और उसके विनियमों के प्रावधानों के तहत तदर्थ प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य के पद का वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इसके कानूनी परिणाम प्रभावी होंगे। यह तर्क कि तदर्थ रिक्ति को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के बाद ऐसे प्रोन्नत व्यक्ति ने उच्च उत्तरदायित्व के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इसलिए वे प्रोन्नत पद के वेतन के हकदार हैं—विशेष रूप से तब जब यह एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो—भी अस्वीकार्य है, क्योंकि यह ऊपर चर्चा किए गए प्रावधानों के विरुद्ध होगा।

27. न्यायालय यह संज्ञान लेता है कि अन्य मामलों में, यदि पूर्व नियुक्त तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो यह निर्देशित किया जाता है कि उसकी वसूली नहीं की जाएगी, परंतु इस निर्णय की उद्घोषणा की तिथि से उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।

28. तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

27 जनवरी, 2026

एन. सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।